

राजस्थान सरकार
निदेशालय, समेकित बाल विकास सेवाएँ
2, जलपथ, गाँधी नगर, जयपुर

क्रमांक : एफ 11 (2)/मो./RRS-MIS/आईसीडीएस/2017 (11/11/17)
उपनिदेशक
महिला एवं बाल विकास विभाग,
समस्त।

जयपुर दिनांक
21-6-18

विषय:- आंगनबाड़ी केन्द्रों की मासिक रिपोर्ट भिजवाने के संदर्भ में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि भारत सरकार ने राज्य में संचालित आंगनबाड़ी केन्द्रों की मासिक प्रगति सूचना संकलित करने के लिए RRS PORTAL तैयार किया गया था, जिस पर संचालित आंगनबाड़ी केन्द्रों से संबंधित सूचनाओं का शत प्रतिशत प्रतिमाह फिडिंग करने हेतु विभाग के आदेश दिनांक 14.11.2017 के द्वारा निर्देश दिये गये थे। साथ ही 1 दिसम्बर 2017 से ऑफलाईन एमपीआर (IN EXCEL) में नही भेजने के भी निर्देश दिये गये थे।

लेकिन निदेशालय स्तर के अधिकारियों द्वारा RRS-MIS मॉनिटरिंग करने से ज्ञात हुआ है कि आपके जिले में संचालित आंगनबाड़ी केन्द्रों की सूचनाएँ RRS PORTAL पर माह फरवरी 2018 से मई 2018 तक लगभग 47 प्रतिशत मासिक प्रगति रिपोर्ट दर्ज की गई है जिसको भारत सरकार ने गंभीरता से लिया है। जिलेवार सूची संलग्न है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि RRS PORTAL पर समस्त संचालित आंगनबाड़ी केन्द्रों से संबंधित सूचनाओं का शत प्रतिशत फिडिंग नही हो पाती है तब तक मार्च 2018 से संलग्न प्रपत्रानुसार ऑफलाईन मासिक एमपीआर (IN EXCEL) में प्रत्येक माह की 10 तारीख तक **Google Sheet** के नीचे दिये गये लिंक में उपलब्ध प्रारूप (प्रपत्र-बी के अनुसार) में आंगनबाड़ी केन्द्रों की मासिक प्रगति की सूचना दर्ज करना सुनिश्चित करे।

<https://docs.google.com/spreadsheets/d/1bz3L9GJKxjCbOS7Fk0Qn79ZitXP4EG3ERbCZrcfuhnQ/edit?usp=sharing>

संलग्न- उपरोक्तानुसार



निदेशक
समेकित बाल विकास, सेवाएँ
राजस्थान जयपुर।

क्रमांक : एफ 11 (2)/मो./RRS-MIS/आईसीडीएस/2017 114 ग.स.प.स. जयपुर दिनांक 21-6-18
प्रतिलिपि:-

1. समस्त बाल विकास परियोजना अधिकारियों को पत्र प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि संचालित आंगनबाडी केन्द्रों से संबंधित सूचनाएँ प्रतिमाह आरआरएस पोर्टल पर शत प्रतिशत फिडिंग करावें साथ ही शत प्रतिशत फिडिंग न होने की स्थिति में संलग्न प्रपत्रानुसार ऑफलाईन मासिक एमपीआर (IN EXCEL) में प्रत्येक माह की 5 तारीख तक **Google Sheet** के नीचे दिये गये लिंक में उपलब्ध प्रारूप (प्रपत्र-बी के अनुसार) में आंगनबाडी केन्द्रों की मासिक प्रगति की सूचना दर्ज करना सुनिश्चित करें।
<https://docs.google.com/spreadsheets/d/1nz3L9GJKxjCbOS7Fk0Qn79ZitXP4EG3ERbCZrcfuhnQ/edit?usp=sharing>
2. उपनिदेशक (एसीपी) को निर्देशित किया जाता है की उपरोक्त लिंक को संबंधित जिलों के उपनिदेशक एवं बाल विकास परियोजना अधिकारियों को उनकी ई-मेल आई पर भिजवाना सुनिश्चित करें।

अति. निदेशक (आई)
समेकित बाल विकास, सेवाएँ
राजस्थान जयपुर।